तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **हनुमान बनाम कालूराम** **अपील संख्या 220/2008 (जीसीएमएस नम्बर 2008/00010)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2008 से विचाराधीन चल रहा है तथा दिनांक 11.03.2020 को 500/- पॉच सौ रूपये की कोस्ट पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-4 स्वीकार कर कोस्ट की राशि राजकोष में जमा करवाने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने की आदेश दिये गये है किन्तु अपीलान्ट को बार-बार अवसर देने के उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 11.03.2020 की पालना अभी तक नही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नही किये जाने पर अपील अपीलान्ट खारिज की जानी उचित होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (विकास एस.भाले) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	